92

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प–रीवा म0प्र0

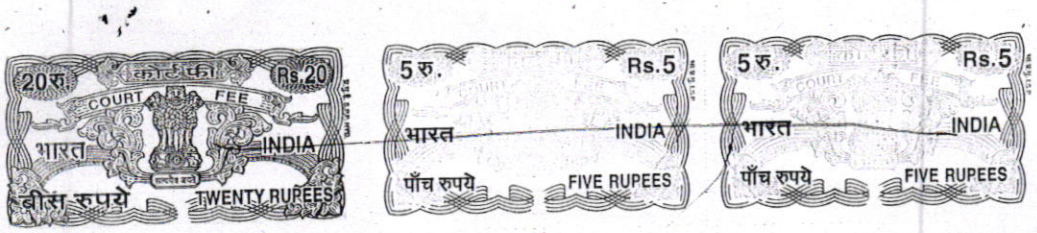


1. अनन्त प्रसाद अग्निहोत्री तनय कृपाचार्य अग्निहोत्री
2. प्रफुल्ल कुमार अग्निहोत्री तनय लालजी अग्निहोत्री
3. गोरवा देवी पत्नीं लालजी अग्निहोत्री
4. रामजी तनय मकरन्द प्रसाद अग्निहोत्री

सभी निवासी ग्राम पटेहरा, तहसील रामपुर नैंकिन, जिला–सीधी म0प्र0

.....निगरानींकर्ता

**बनाम**

1. अमृतलाल गुप्ता पिता रामपाल गुप्ता निवासी ग्राम पटेहरा, तहसील रामपुर नैंकिन, जिला–सीधी म0प्र0
2. म0प्र0 शासन

.....उत्तरवादीगण

राजस्व निगरानीं अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2017 जो राजस्व निरीक्षक महोदय, मण्डल रामपुर नैंकिन, तहसील रामपुर नैंकिन जिला–सीधी के प्रकरण कमांक 68/अ–12/2016–17 में पारित किया है और जिसके द्वारा ग्राम पटेहरा की आराजी नम्बर 195, 196, 197, 200, 210, 226, 227, 312, एवं 315 किता 09 के सीमांकन की पुष्टि राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर नैंकिन, तहसील रामपुर नैंकिन द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई है की गई .

मान्यवर,

निगरानींकर्तागण की ओर से निम्नांकित निगरानीं प्रस्तुत हैः–

1. यह कि ग्राम पटेहरा तहसील रामपुर नैंकिन, जिला–सीधी म0प्र0 की आराजी खसरा कमांक 195, 196, 197, 200, 210, 226, 227, 312, एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2787

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6/4/18 | यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर नेकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 68 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 20–7–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने ग्राम पटेहरा की आराजी कमांक 195, 196, 197, 200, 210, 226, 227, 312 एंव 315 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 68 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दिलवाई गई। हलका पटवारी ने दिनांक 2–7–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आपत्ति आने के कारण राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 68 अ–12/16–17 आपत्तिकर्ताओं को सुना है तथा आपत्ति निराधार पाने के कारण निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 20–7–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन कराया है जिसकी सूचना आवेदक को नहीं हुई, यदि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी जाती है, निश्चित है वह सीमांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखता । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है | |

जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी है। जहां तक आवेदकगण को सीमांकन की सूचना न देने का प्रश्न है ? राजस्व निरीक्षक के समक्ष सुनवाई के दौरान एंव अंतरिम आदेश दिनांक 10–7–17 में इस प्रकार उल्लेख है :–

" सीमांकन कार्य में प्रफुल्ल कुमार पिता लालजी एंव अन्य 3 व्दारा तथा महेन्द्र पिता वली व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। आपत्ति की प्रति जवाव हेतु आवेदक को प्रदान की गई। "

इसी प्रकार अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–17 में उल्लेख है :–

" आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है प्रकरण आदेशार्थ "।

यदि आवेदक राजस्व निरीक्षक के अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–17 से दुखी था , उसे इस आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में निगरानी करना थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को सुना नहीं है एंव पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है।

3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है । अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदकगण स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 20–7–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य